न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज0

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)।

दावा नंबर – 24/15
तारीख निर्णय– 18.10.2018

1. नंदराम
2. बद्रीप्रसाद
3. रामफल पिस0 प्यारेलाल जाति हैवासी निवासी नयावास तह0 नदबई
4. श्यामलाल पुत्र भग्गू जाति हैवासी निवासी नयावास तह0 नदबई

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तह0 नदबई

प्रतिवादी

निर्णय

वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0 अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 1331 रकबा 028 है वाके ग्राम नयावास तह0 नदबई स्थित है तथा जिसका साविक 1136 रकबा 1 बी0 2 विश्वा से बना है । इससे पूर्व का खसरा नंबा 1005 था । उक्त आराजी वादीगण की खातेदार टीनेन्सी की आराजी है तथा संवत 2012 सें पूर्व से ही वादीगण के कब्जे काश्त में चला आ रही है व आज भी वादीगण के कब्जे काश्त में है । आराजी मुतदाविया पर गैरखातेदारी के इन्द्राज हो रहे है जो खिलाफ कानून हैं । वादीगण किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल की आवश्यकता हुई तारे पटवारी ने दिनांक 2.6.14 को बताया कि आप गैर खातेदारी के कारण आपको लोन नहीं मिल सकता । गैरखातेदारी के कारण वादीगण को सक्त हक तलफी है तथा विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं । रिकार्ड में वादीगण नें नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2028 पेश की है जिसमें प्यारेलाल,
श्यामलाल पिस0 मंगू गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं । मिलान क्षेत्रफल सं 2028 से ख0नं0 1005 से ख0नं0 1136 बनना सावित है । व मिलान क्षेत्रफल सं0 2060 से ख0नं0 1136 से 1331 खसरा नंबर बनना सावित है । नकल जमाबंदी सं0 2070–73 भी पेश की है ।

हमने विद्वान अभिभाषक वादी व पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार की बहस सुनी व पत्रावली का अध्ययन किया । वादीगण के वारिस संवत 2028 से पूर्व से ही गैरखातेदार चले आ रहे है । नकल जमाबंदी संवत 2010 संलग्न की है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसमें जिस पर वासी व सोनी 1/2 व 1/2 की क्रमशः खेवट दर्ज है । नकल जमाबंदी संवत 2019 में प्यारेलाल व श्यामलाल पिस0 भग्गू कौम हैवासी पट्टेदार दर्ज रिकार्ड है । इससे सावित है कि वादीगण का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही है । संवत 2028 में गैरखातेदार दर्ज कर दिये जबकि गैरखातेदारी अधिकारों को कब्जे के आधार पर तहसीलदार को खातेदारी अधिकार प्रदान कर देने चाहिये थे । वादी अपने हक को प्राप्त नहीं कर रहे है । खातेदारी प्रदान की जावें । पैरोकार सरकार ने स्वीकार किया कि वादीगण वर्तमान रिकार्ड में गैर खातेदार है तथा कब्जा काश्त भी है जो मौका रिपोर्ट से सावित है । हमने बहस पर गौर किया तो पाया कि वादीगण का कब्जा काफी पुराना है तथा आज भी काविज होकर काश्त कर रहे है । गैरखातेदारी इन्द्राज के कारणस उन्हे अपने कृषि कार्य के लाभों से वंचित रहना पड रहा है । अतः वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः आदेश है कि खसरा नंबर 1331 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम नयावास तह0 नदबई पर गेर खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2018 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील/तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official